कार्यालय, नगरपालिकनिगम, रतलाम (म0प्र0)

क्रमांक / 393 / PMAY / 2021 रतलाम, दिनांक 16.09.2021

:: तृतीय ई–निविदा आमंत्रण ::

नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के AHP घटक में डॉ0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर में निर्मित 93 MIG फ्लैट्स के फ्री–होल्ड पर विक्रय हेतु म.प्र. नगर पालिका अचल सम्पत्ति का अंतरण नियम 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत ऑन लाईन निविदा आमंत्रण की जाती है। निविदा की विस्तृत जानकारी ऑनलाईन वेबसाईड https://mptenders.gov.inपर देखी जा सकती है:–

क्र.	ऑनलाईन निविदा क्र.	MIG फ्लैट क्रमांक	सुपर बिल्ट अप क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	आरक्षण की स्थिति	नगर निगम द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य	धरोहर (प्रतिभूति निक्षेप) राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य
01	160265	MIG A/101	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
02	160266	MIG A/102	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
03	160267	MIG A/103	91.23	अ0जा0 पुरूष	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
04	160268	MIG A/104	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
05	160269	MIG A/105	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
06	160270	MIG A/106	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
07	160271	MIG A/107	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
08	160272	MIG A/201	91.23	अ0ज0जा0 पुरूष	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
09	160273	MIG A/202	91.23	पि0वर्ग पुरूष	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
10	160274	MIG A/203	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
11	160275	MIG A/204	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
12	160276	MIG A/205	91.23	पि0वर्ग पुरूष	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
13	160277	MIG A/206	91.23	अनारक्षित महिला	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
14	160278	MIG A/207	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
15	160279	MIG A/208	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
16	160280	MIG A/301	91.23	अ0जा0 पुरूष	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
17	160281	MIG A/302	91.23	अ0ज0जा0 पुरूष	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
18	160282	MIG A/303	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
19	160283	MIG A/304	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
20	160284	MIG A/305	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
21	160285	MIG A/306	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
22	160286	MIG A/307	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
23	160287	MIG A/401	91.23	अ0ज0जा0 पुरूष	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
24	160288	MIG A/402	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
25	160289	MIG A/403	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
26.	160290	MIG A/404	91.23	अ0जा0 महिला	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
27	160291	MIG A/405	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
28	160292	MIG A/406	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
29	160293	MIG A/407	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
30	160294	MIG A/408	91.23	पि0वर्ग पुरूष	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
31	160295	MIG A/501	91.23	अनारक्षित महिला	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
32	160296	MIG A/502	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
33	160297	MIG A/503	91.23	अनारक्षित महिला	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
34	160298	MIG A/504	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-

35	160299	MIG A/505	91.23	अ0जा0 पुरूष	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
36	160300	MIG A/506	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
37	160301	MIG A/507	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
38	160302	MIG A/508	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
39	160303	MIG A/601	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
40	160304	MIG A/602	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
41	160305	MIG A/603	91.23	अ0ज0जा0 महिला	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
42	160306	MIG A/604	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
43	160307	MIG A/605	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
44	160308	MIG A/606	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
45	160309	MIG A/607	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
46	160310	MIG A/608	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
47	160311	MIG B/101	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
48	160312	MIG B/102	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
49	160313	MIG B/103	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
50	160314	MIG B/104	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
51	160315	MIG B/105	91.23	पि0वर्ग पुरूष	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
52	160316	MIG B/106	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
53	160317	MIG B/107	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
54	160318	MIG B/108	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
55	160319	MIG B/202	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
56	160320	MIG B/203	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
57	160321	MIG B/204	91.23	अ0जा0 पुरूष	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
58	160322	MIG B/205	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
59	160323	MIG B/206	91.23	अ0जा0 पुरूष	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
60	160324	MIG B/207	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
61	160325	MIG B/208	91.23	पि0वर्ग पुरूष	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
62	160326	MIG B/301	91.23	अ0जा0 पुरूष	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
63	160327	MIG B/302	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
64	160328	MIG B/303	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
65	160329	MIG B/304	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
66	160330	MIG B/305	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
67	160331	MIG B/306	91.23	अ0जा0 महिला	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
68	160332	MIG B/307	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
69	160333	MIG B/308	91.23	अ0जा0 पुरूष	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
70	160334	MIG B/401	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
71	160335	MIG B/402	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
72	160336	MIG B/403	91.23	अनारक्षित महिला	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
73	160337	MIG B/404	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
74	160338	MIG B/405	91.23	अनारक्षित महिला	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
75	160339	MIG B/406	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
76	160340	MIG B/407	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-

77	160341	MIG B/408	91.23	अ0जा0 पुरूष	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
78	160342	MIG B/501	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
79	160343	MIG B/502	91.23	पि0वर्ग महिला	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
80	160344	MIG B/503	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
81	160345	MIG B/504	91.23	दिव्यांग	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
82	160346	MIG B/505	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
83	160347	MIG B/506	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
84	160348	MIG B/507	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
85	160349	MIG B/508	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
86	160350	MIG B/601	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
87	160351	MIG B/602	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
88	160352	MIG B/603	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
89	160353	MIG B/604	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
90	160354	MIG B/605	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
91	160355	MIG B/606	91.23	अ0ज0जा0 महिला	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
92	160356	MIG B/607	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-
93	160357	MIG B/608	91.23	अनारक्षित	22,00,000/-	55,000/-	5,000/-

1– उपरोक्त निविदाओ के निविदा प्रपत्र ऑन लाईन भुगतान कर, क्रय किये जा सकते हैं। निविदा क्रय तथा प्रस्तुत करने की समय सारणी निम्नानुसार है :–

Publish Date :	23-09-2021 16:00	Pri Bid Meeting Date :	
Document Download/Sale Start Date:	23-09-2021 16:30	Bid Submission End Date :	17-11-2021 15:30
Bid Submission Start Date :	23-09-2021 17:00	Bid Opening Date :	18-11-2021 15:30

2– उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी नगर निगम रतलाम की वेबसाईड **www.rmcratlam.in** पर देखी जा सकती है।

3– समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वह अंतिम दिवस की प्रतीक्षा न कर निर्धारित समय सारिणी अनुसार निविदा की ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करें। वेबसाइट में किसी प्रकार की असुविधा के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। वेबसाइट की किसी भी प्रक्रिया अथवा संचालन संबंधी जानकारी के लिये वेबसाइट का टोल फ्री नंबर 012–4001–002 पर संपर्क किया जा सकता है। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा परिवर्तन वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जावेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा। भवनों के संबंध में अन्य जानकारी नगर निगम कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में कक्ष क्रमांक 14 से प्राप्त की जा सकती है विक्रय संबंधी समस्त शर्ते ऑनलाईन डाऊनलोड की सकती है।

4– समस्त निविदाकार द्वारा जमा अर्नेस्टमनी की राशि भवन के पंजीयन (रजिस्ट्री) के तीन दिन पश्चात वापस उसी बैंक खाते में अंतरित हो जावेगी, जिससे की अर्नेस्टमनी की राशि जमा करवाई गई थी।

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम, रतलाम

पृ.क्रमांक /PMAY/2021 रतलाम, दिनांक .09.2021

1– आयुक्त महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2– कलेक्टर एवं प्रशासक, नगर पालिक निगम, रतलाम की ओर सूचनार्थ।
3– प्रमुख अभियंता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4– श्री नरेन्द्र वर्मा (मो.नं. 9893318859) मैनेजर एसोसीएशन, भोपाल की ओर संचालनालय की वेब साईड पर प्रदर्शित करवाने हेतु सूचनार्थ।
5– कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
6– कार्यपालन यंत्री लोक स्वा.यां. खण्ड रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
7– कार्यालय मुख्य नोटिस बोर्ड नगर पालिक निगम रतलाम नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
8– लेखाधिकारी नगर पालिक निगम रतलाम की ओर सूचनार्थ ।

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम, रतलाम

कार्यालय नगर पालिक निगम रतलाम (म.प्र.) 457001

01, कालेज रोड, दूरभाष 07412-270555 फैक्स नं. 07412-270556
Email- commratlam@mpurban.gov.in Website- www.rmcratlam.in

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के AHP घटक के अन्तर्गत DPR-1 डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में निर्मित बहुमंजिला MIG फ्लैट के आवंटन हेतु ई-निविदा आमंत्रण की विस्तृत शर्ते

1. डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित आवासीय बहुमंजिला भवन (P+6) 96 MIG फ्लैट का आवंटन म.प्र. नगर पालिका अचल सम्पत्ति अंतरण नियम 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने हेतु ऑफर ई-निविदा द्वारा आमंत्रित हैं। इसके अन्तर्गत 3 लिफाफा पद्वति के आधार पर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। लिफाफा "A" में अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप), लिफाफा "B" में आरक्षित वर्ग का होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत आवश्यक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की प्रति, पेन कार्ड की प्रति एवं ई-निविदा में उल्लेखित अन्य आवश्यक दस्तावेज तथा लिफाफा "C" में निविदा दर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगी।
2. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक F-10/47/15/18-2 भोपाल दिनांक 03/09/2020 के साथ संलग्न कार्यवाही विवरण दिनांक 29/08/2020 की कंडिका 9 एवं 15 अनुसार सम्पत्ति का व्ययन, तथा पंजीयन विलेख फ्री-होल्ड के आधार पर किया जावेगा।
3. उपरोक्त सभी लिफाफे / दस्तावेज सिर्फ ऑनलाईन प्रस्तुत किये जावेगें।
4. आरक्षित वर्ग की सम्पत्ति होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र/आवष्यक अन्य प्रमाण पत्र सही पायें जाने पर एवं अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) नियमानुसार जमा होना पाये जाने पर ही निविदा दर का लिफाफा "C" ऑनलाईन खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निविदा से संबंधित अन्य समस्त नियम एवं शर्ते ई-निविदा वेबसाईट पर देखी जा सकती हैं।
5. ई-निविदा में प्रत्येक संपत्ति के लिए आयुक्त नगर पालिक निगम रतलाम के नाम पर देय अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) की राशि पृथक-पृथक जमा कराना अनिवार्य होगा जो कि आरक्षित मूल्य के 2.50 प्रतिशत से कम नही होगी। अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) जमा न किये जाने की स्थिति में निविदा विचार योग्य नहीं होगी।
6. उच्चतम निविदा दर दाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक से 21 (इक्कीस) दिवस में जमा की जायेगी और शेष राशि जिसमें प्रतिभूति राशि को सम्मिलित किया जा सकता है, निविदा दर की अंतिम स्वीकृति के संबंध में लिखित सूचना प्राप्त होने के दिनांक से 120 दिवस के अन्दर जमा की जाएगी। यदि निविदाकार द्वारा विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि या संसूचित अवधि के अंदर शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आयुक्त "विक्रय को अनुपयुक्त कर दिया गया" घोषित कर सकेगा तथा पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।
7. यथास्थिति, निविदा प्रक्रिया समाप्त होने पर या प्रस्ताव खोले जाने के तत्काल पश्चात् उच्चतम दर प्रस्तुतकर्ता निविदाकार की अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) को छोड़कर शेष सभी निविदाकारों की अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) नियमानुसार वापस कर दी जाएगी।

8. निविदा प्रस्थापना के प्रस्ताव को अमान्य किये जाने पर निविदाकर्ता को अग्रिम राशि वापस कर दी जायेगी किन्तु ब्याज देय नहीं होगा।
9. सफल निविदाकार द्वारा स्वीकृति उपरांत निर्धारित समय-सीमा में राशि जमा न करने की स्थिति में अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निक्षेप) राशि राजसात की जावेगी जिसके विरूद्ध कोई भी आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।
10. आरक्षित प्रवर्ग की सम्पत्ति उसी संवर्ग को नियमानुसार अंतरित की जा सकेगी, नामांतरण की कार्यवाही नियम 4 के प्रावधान अनुसार की जायेगी। इसका उल्लंघन किये जाने पर आवंटन निरस्त कर सम्पत्ति का अधिपत्य निगम द्वारा पुनः वापस ले लिया जावेगा।
11. आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों का तीन बार सार्वजनिक सूचना द्वारा निविदा आमंत्रित किये जाने पर भी कोई निविदा प्राप्त नहीं होने पर, उक्त सम्पत्ति को नियम 5 में दिये गये सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके सामान्य वर्ग को निविदा द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित कर आवंटित किया जा सकेगा, निविदा हेतु सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन नियम 3 में उल्लेखित रीति के अनुसार किया जाएगा।
12. संपत्ति के संरचनात्मक भागों के किसी भाग में कोई अतिरिक्त कार्य करने या परिवर्तन करने की पात्रता नहीं होगी, जो संरचना की सुरक्षा को प्रभावित करती हो तथा वह इसे उसी स्थिति में रखेगा, जैसा कि उसे प्रदान किया गया है।
13. यदि संपत्ति को किसी प्राकृतिक आपदा या दंगाग्रस्त भीड़ या अन्य किसी दुर्घटना जो मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण क्षति होती है तो इस प्रकार हुई क्षति को क्रेता को ही वहन करना होगा । इसके लिए आयुक्त नगर निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा ।
14. संपत्ति का रखरखाव एवं आवश्यक मरम्मत क्रेता द्वारा किया जाएगा।
15. आयुक्त नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा अथवा आयुक्त द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा विक्रय की गई सम्पत्ति का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा क्रेता इसके लिए बंधनकारी होगा।
16. क्रेता को किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थो या शासन द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित मादक पदार्थो या किन्हीं अन्य ऐसे पदार्थो के संग्रहण की अनुमति नहीं होगी, जो लोगों के जीवन पर हानिकारक प्रभाव डाले व उसकी संपत्ति तथा आस-पास की संपत्तियों के लिए असुरक्षित हो । इस शर्त के उल्लंघन होने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी ।
17. क्रेता किसी ऐसी गतिविधि का क्रियान्वयन नहीं करेगा, जो विधि के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है और आसपास के रहवासियों अथवा आमजन की शांति, सुखाधिकार तथा सुरक्षा को प्रभावित करती हो ।
18. आयुक्त नगर पालिक निगम रतलाम लोकहित में संपत्ति में सुधार हेतु क्रेता को निर्देश दे सकेगा ।
19. क्रेता को विद्युत संयोजन एवं नल कनेक्शन स्वयं के व्यय पर नियमानुसार प्राप्त करना होगा।

कार्यालय नगर पालिक निगम रतलाम (म.प्र.) 457001

01, कालेज रोड, दूरभाष 07412-270555 फैक्स नं. 07412-270556

Email- commratlam@mpurban.gov.in Website- www.rmcratlam.in

20. क्रेता द्वारा इन निर्मित बनाये गये नियमों और उसके अधीन बनाए गए उपबंधों और अनुबंध की शर्तो के अनुपालन में चूक करने की दशा में संपत्ति का अन्तरण निरस्त किया जा सकेगा ।
21. केन्द्र सरकार, म.प्र. शासन एवं स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित कर/शुल्क/अन्य प्रभारों का भुगतान क्रेता द्वारा किया जाएगा ।
22. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम एवं मध्यप्रदेश अचल संम्पत्ति अंतरण नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार निधारित सभी शर्ते व नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
23. निविदाकार को फ्लैटस का स्वयं निरिक्षण कर फ्लैटस की डिजाईन, स्पेसिफिकेशन, विद्युत, निर्माण सामग्री, कार्य कुशलता आदि की जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिये।
24. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर आवास आवंटित किया जावेगा, यदि भविष्य में परीक्षण उपरांत प्रस्तुत दस्तावेज असत्य / फर्जी पाये जाते है तो आवास का आवंटन निरस्त कर निविदाकार के विरूद्व नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
25. भवन का उपयोग सिर्फ आवास के लिये ही किया जा सकेगा।
26. अधिपत्य के उपरांत भवन का रख-रखाव, पानी, विद्युत कनेक्शन आवंटिती को स्वयं के व्यय से लेना होगें तथा कॉमन सर्विस चार्जेस, जलकर आदि का भुगतान करना होगा।
27. भवन की पूर्ण राशि जमा होने के उपरांत नियमानुसार भवन का पंजीयन (रजिस्ट्री) क्रेता द्वारा स्वयं के व्यय पर करवाई जावेगी।
28. प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जो भी नियम / आदेश जारी किये गये है या भविष्य में जारी किये जावेगे उनका पालन क्रेता को करना अनिवार्य होगा।
29. आंवटिती को केन्द्र शासन, राज्य शासन, नगर पालिक निगम रतलाम के कर आदि जो भी देय होगे, स्वयं भुगतान करना होगें।
30. नियमानुसार समस्त रहवासियों को रहवासी कल्याण समिति का गठन करना अनिवार्य है एवं समस्त रहवासियों को रहवासी कल्याण समिति का सदस्य बनना अनिवार्य रहेगा।
31. निर्मित आवासीय परिसर में 50% आवास गृहों में आधिपत्य प्राप्त कर निवासरत होने तक संचालन/संधारण नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा किया जावेगा। इसके उपरांत अर्थात् 50% से अधिक आवासग्रहों में हितग्राहियों के आधिपत्य एवं निवासरत होने के अगले माह से ही संचालन/संधारण एवं उस पर होने वाले समस्त व्यय आदि का वहन रहवासी कल्याण समिति द्वारा किया जावेगा।
32. इस हेतु बहुमंजिला भवनों के संबंध में जो नियम, उपनियम आज प्रचलित है या भविष्य में प्रचलित होगे उन सभी का पालन क्रेता को करना अनिवार्य होगा।
33. किसी भी प्रकार के बाद की स्थिति में वाद क्षेत्र नगर पालिक निगम रतलाम की सीमा के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय रहेगा।
34. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रतलाम का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

कार्यपालन यंत्री
प्रधानमंत्री आवास योजना
नगर पालिक निगम रतलाम